

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. नगर खण्ड, जोधपुर

क्रमांक : अअ/नरव/जोध/2016-17/ 9772

दिनांक : 14/3/17

प्रेषित :-

महालक्ष्मी शिक्षाण संस्थान द्वारा संचालित  
लक्ष्मी देवी मून्दडा पब्लिक सैकण्डरी स्कूल  
ई-सेक्टर प्राताप नगर,  
जोधपुर।

(6)

विषय: भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वर्ष 2016-17।


महोदय,

विद्यालय प्रधान द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शों के अनुसार विद्यालय भवन का निरीक्षण किये जाने पर उक्त भवन विद्यालय उपयोग हेतु सुरक्षित घोषित किया जाता है।

अतः भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है।

1. यह भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र नजरी तौर पर निरीक्षण कर दिया जा रहा है।
2. भवन की छत अथवा दिवार में त्रुटि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जावे।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेवारी संस्था की होगी।
4. चूंकि उक्त स्कूल/कॉलेज का निर्माण इस कार्यालय द्वारा नहीं कराया गया है, अतः भवन की नींव तथा निर्माण में प्रयोग सामग्री की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।
5. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरन्त सूचना दी जावे।
6. शाला के लिये आवश्यक मापदण्ड शिक्षा विभाग द्वारा ही प्रमाणित किया जायेगा।
7. यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वर्ष 2016-2017 के लिये ही मान्य होगा।

भवदीय,



(शांतिलाल व्यास)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. नगर खण्ड, जोधपुर

दिनांक :

क्रमांक : अअ/नरव/जोध/2016-17/

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. नगर उपखण्ड-चतुर्थ, जोधपुर।

(शांतिलाल व्यास)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. नगर खण्ड, जोधपुर